



2011

दूरभाष/Tele: 0177-2651 419, 2651 482
ई-मेल/E-mail: dco-him.prd@censusindia.gov.in



भारत सरकार, गृह मन्त्रालय

Government of India, Ministry of Home Affairs

निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश

Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh

दूरभाष/Telegram: हिम-जनगणना/Him-Census
ई-मेल/E-mail: dco-him.prd@censusindia.gov.in

सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, हिमाचल खण्ड, लॉगवुड, शिमला-171 001

C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

डी.सी.ओ.एच.पी.26/2015-II

दिनांक :

निविदा आमंत्रण पत्र

13 JUL 2015

सेवा में,

विषय:- जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा कम्प्यूटर्स, प्रिंटरों तथा यू.पी.एस. के रख-रखाव एवं वार्षिक साफ्टवेयर स्पोर्ट एंटीवायरस के साथ के लिए वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा आमंत्रण।

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला, द्वारा कम्प्यूटर्स, प्रिंटरों तथा यू.पी.एस. के रख-रखाव एवं साफ्टवेयर स्पोर्ट (एंटीवायरस के साथ) के लिए वार्षिक अनुबन्ध हेतु मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

अनुबन्ध के अंतर्गत सामान्य कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है:-

1. फर्म द्वारा उपकरणों का सुचारु रूप से समय समय पर सामान्य जांच एवं सर्विसिंग करनी होगी। जिसकी रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
2. फर्म द्वारा कम्प्यूटरों में आवश्यकता अनुसार साफ्टवेयर एवं एंटी वायरस मुफ्त में लोड करना होगा। जिसका खर्च अनुबन्धित राशि के अंतर्गत ही सम्मिलित होगा।
3. कम्प्यूटर/प्रिंटर/यू.पी.एस. के खराब होने की स्थिति में मरम्मत का कार्य अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्यालय के अन्दर ही किया जाना होगा। फर्म के वर्कशॉप में मरम्मत कार्य करने की अनुमति कार्यालय द्वारा मान्य नहीं होगी।
4. अनुबन्ध के अनुसार खराब पार्ट बदलने की स्थिति में फर्म को मूल पार्ट (Original Part) ही लगाना होगा। जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। यह स्थिति वार्षिक अनुबन्ध के दर प्रति स्पेयर पार्ट सहित स्वीकार होने पर लागू होती है।
5. अनुबन्धित मद जोकि कम्प्यूटर्स में नुई क्वेचर वारंटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए साफ्टवेयर स्पोर्ट भी अपलोड करवाना होगा।
6. कार्यालय के कम्प्यूटर्स, प्रिंटरों एवं यू.पी.एस. की संख्या निम्नलिखित है:-

1) कम्प्यूटर	-	31
2) प्रिंटर	-	11
3) यू.पी.एस.	-	20

निविदा की निबंधन एवं शर्तें इस प्रकार हैं :

1. निविदाएँ, उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, लॉगवुड शिमला-1 के नाम दिनांक 27/07/2015 को 12:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली निविदाएँ तथा टेलीग्राम/फैक्स/ई-मेल से प्राप्त हुई निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदाएँ, उसी दिन, दिनांक 27/07/2015 को 12:30 बजे इस कार्यालय की गठित कमेटी द्वारा खोली जाएंगी।
3. निविदाएँ, गठित कमेटी द्वारा खोलने के दौरान जिस फर्म की राशि न्यूनतम होगी उसी को सफल निविदाकार माना जाएगा। अतः रेट एकमुश्त भारतीय मुद्रा में ही कोट करें। उद्धरित दर सभी कर/वैट इत्यादि सहित होनी चाहिए।
4. निविदा दरों के अलावा किसी भी अन्य तरह के खर्च अथवा करों इत्यादि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। सूचना/स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो वह "श्री आशीष चौहान, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, लॉगवुड शिमला-1" से व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष (0177-2651419) पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. दरें प्रति मद स्पेयर पार्ट के बिना एवं स्पेयर पार्ट के साथ दोनों के लिये कोट करना अनिवार्य हैं।
6. यह अधिकार कार्यालय का होगा कि कार्यालय, वार्षिक अनुबन्ध दर प्रति बिना स्पेयर पार्ट या दर प्रति स्पेयर पार्ट सहित करता है। उसी आधार पर न्यूनतम मुल्य कोट करने वाली फर्म को सफल घोषित किया जायेगा।
7. सभी फर्मों द्वारा निविदाएँ संलग्न निर्धारित प्रोफॉर्मों में प्रस्तुत करनी होगी।
8. निदेशालय किसी भी कारणवश निविदा (Bid) के अप्राप्त या देरी से प्राप्त होने पर जिम्मेवार नहीं होगा।
9. उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को कोई भी कारण बताए बिना स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखते हैं।
10. अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रशिक्षित एवं अनुभवी इंजीनियर द्वारा कम्प्यूटर संबंधी शिकायतों का समाधान करवाना होगा।

11. स्वीकृत निविदादाता को ए.एम.सी. के तहत प्रत्येक तिमाही में संतोषजनक सेवाएँ देने पर तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. यदि ए.एम.सी. अनुबन्ध के उपरांत अनुबन्धित फर्म कार्यालय द्वारा बुलाए जाने पर 24घण्टे के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता तो अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा सर्विस न दिये जाने वाली अवधि की राशि अनुपातिक रूप से काट दी जायेगी।
13. फर्म द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षर दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील होगा। फर्म द्वारा ए.एम.सी. वर्ष के तहत दी गई सेवाओं से संतुष्ट होने पर, उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लॉगवुड शिमला, ए.एम.सी. अनुबन्ध को आगामी वर्ष हेतु भी विस्तार करने का अधिकार रखते हैं।
14. यह निविदा, स्थानांतरणीय नहीं है अतः अनुबन्ध होने के उपरांत किसी अन्य फर्म को निविदा, स्थानांतरित नहीं की जा सकती।
15. कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय शिमला का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
16. अनुबन्धित फर्म को सरकारी अवकाश के दिन, यदि कार्यालय को आवश्यकता है तो अनुबन्धित मद खराब होने की स्थिति में अपने इंजीनियर को भेजना होगा।
17. ए.एम.सी. अनुबन्ध हेतु कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रफोर्मा में अनुबन्धित फर्म को हस्ताक्षर करने होंगे।
18. अग्रिम धन (EMD) के रूप में 2000/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट "सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला" के नाम से जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय अनिवार्य है।
19. निविदा हेतु दर कोट करने वाले फर्म HP/Lenovo/Dell etc. में से किसी एक कम्पनी के Authorized Supplier तथा Warranty Service Provider होना वांछनीय है।
20. केवल रजिस्टर्ड फर्म की निविदा ही स्वीकार की जायेगी। निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
21. फर्म को सरकारी कार्यालय में किये गये काम का अनुभव सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा Customer Satisfactory Certificate प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही फर्म द्वारा अन्य किसी सरकारी कार्यालय में पिछले तीन वर्षों में ए.एम.सी. अनुबन्ध किये जाने सम्बंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
22. Income tax Clearance Certificate (वर्ष 2013-14 या वर्ष 2014-15) की प्रति भी निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न भेजे।
23. कम्प्यूटर/प्रिंटर/यू.पी.एस. के भौतिक निरीक्षण करने के उपरांत संतुष्ट होने पर ही कोटेशन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
24. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में शिमला क्षेत्राधिकार होगा।
25. वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुबन्ध के लिए, निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र में दी गई मदों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

भवदीय,



(जसपाल सिंह)


उपनिदेशक,

जनगणना कार्य निदेशालय,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, हिमाद्री खण्ड, लॉगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

✓ प्रतिलिपि : 1 : WEB.Cell, ORGI, New Delhi को इस आशय से ORGI Web Site में upload करवाने की कृपा करें।



(जसपाल सिंह)

उपनिदेशक,

जनगणना कार्य निदेशालय,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, हिमाद्री खण्ड, लॉगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र

प्रेषक:

.....

सेवा में,

उपनिदेशक,
 जनगणना कार्य निदेशालय,
 भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
 सी.जी.ओ.काम्पलैक्स, हिमाद्री खण्ड, लोंगवुड,
 शिमला, हिमाचल प्रदेश 171001-

महोदय,

उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या डी.सी.ओ.एच.पी.26/2015-II दिनांक 13-07-2015, के प्रति निर्देश से, मैं उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला को, जो भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं कम्प्यूटरों, प्रिंटरों व यू.पी.एस. की ए.एम.सी. व एंटी वाइरस (Antivirus) उपलब्ध करवाने हेतु निविदा के लिए निम्नलिखित दर कोट करता हूँ

क्रम संख्या	मद	संख्या	दर प्रति (बिना स्पेयर पार्ट) Rs.	दर प्रति (स्पेयर पार्ट सहित) Rs.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कम्प्यूटर (Antivirus सहित)	31		
2.	प्रिंटर	11		
3.	यू.पी.एस.	20		
कुल राशि				

नोट : Quoted दर मे सभी करों /वैट इत्यादि सम्मिलित होनी चाहिए। दरें प्रति मद स्पेयर पार्ट के बिना एवं स्पेयर पार्ट के साथ, दोनों के लिये कोट करना अनिवार्य है।

मैंने निविदाकारों के लिए अनुदेशों और संविदा की साधारण शर्तों को तथा उस पत्र में जिसके प्रत्युत्तर में यह निविदा प्रस्तुत की जा रही है उल्लिखित निबंधनों और शर्तों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मैं उपयुक्त दस्तावेजों में अंतर्विष्ट उपबन्धों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ

दिनांक

निविदाकार के नाम

स्थान

.....निविदाकार के हस्ताक्षर.....